नोट

संख्या : वमंकाधि / मिस0 / सम0 / गो0 / 2013
दिनांक : 09.04.2015

विषय :– **सेवानिवृत्त रेलकर्मियों के परिवाद के त्वरित निष्पादन के संबंध में।**

संदर्भ :– मंरेप्र / समस्तीपुर का नोट सं0 – जेड / एस.एस. / 252 / डीआरएम, दिनांक 30.03.2015 (छायाप्रति संलग्न)

– – – – –

मंडल रेल प्रबंधक महोदय के संदर्भित नोट के अनुपालन में सेवानिवृत्त रेलकर्मियों के पेंशन एवं समापक भुगतान से संबंधित परिवाद का निपटारा प्राथमिक स्तर पर सुनिश्चित किया जाना है। उक्त के निपटारे हेतु निम्न स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है :–

1. सेवानिवृत्त रेलकर्मियों के पेंशन एवं समापक भुगतान से संबंधित परिवाद हेतु एक अलग पंजिका समापक भुगतान अनुभाग द्वारा अनुरक्षित की जाएगी। मुख्य कार्याधी / समापक भुगतान अनुभाग द्वारा संबंधित परिवादों की प्राप्ति हेतु प्रत्येक महीने की 11 तारीख को एकमुश्त रूप से परिवाद अनुभाग से प्राप्त करेंगे।
2. उक्त पंजिका में प्रत्येक महीने के 10 तारीख तक किसी भी माध्यम से प्राप्त सेवानिवृत्त रेलकर्मियों के पेंशन एवं समापक भुगतान से संबंधित परिवाद उसमें दर्ज किये जायेंगे।
3. संबंधित महीने के 10 तारीख तक प्राप्त परिवादों के त्वरित निपटारे हेतु उक्त महीने के 26 तारीख (अवकाश की स्थिति में अगले कार्यदिवस) को अपराह्न 16:00 से 17:00 बजे के बीच में मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक), समस्तीपुर कार्यालय में ऑन स्पॉट शिकायत का निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त परिवाद निस्तारण कार्यक्रम में अगर संबंधित शिकायतकर्ता कर्मचारी व कर्मचारी के आश्रित परिजन शामिल होना चाहें तो अपने परिवाद से संबंधित अद्यतन निष्पादन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
4. 10 तारीख के बाद प्राप्त परिवाद को अगले माह में उपरोक्त अनुसार निष्पादित किये जायेंगे।
5. शिकायत के निपटारे से संबंधित प्रशासनिक स्तर पर जो भी तैयारी की जानी है, संबंधित महीने के 10 तारीख से लेकर निस्तारण तिथि के बीच में परिवाद निपटारे हेतु पूर्ण तैयारी संबंधित अनुभाग द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
6. उपरोक्त परिवाद कार्यक्रम के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु इस नोट की एक प्रति समस्तीपुर मंडल के बेवसाइट पर डालने हेतु कार्याधी / एमपीपी अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे तथा मंडल के अन्य परिक्षेत्रों में प्रचार–प्रसार के उद्वेश्य से संबंधित बीट कर्मचारी व कल्याण निरीक्षक अपने स्तर से प्रयास करेंगे।
7. उपरोक्त परिवाद निपटारा कार्यक्रम का समेकित रूप से मॉनीटरिंग सकाधि–।। द्वारा किया जाएगा तथा प्रगति / निष्पादन रिपोर्ट से वमंकाधि / समस्तीपुर को समय–समय पर टेबुलर फॉर्म में अवगत कराते रहेंगे।

(अरूण कुमार यादव)
वमंकाधि / सम0

सकाधि–।। / सम0
मुकार्याधी / समापक भुगतान, कार्यालय में
कार्याधी / एमपीपी, तथा सभी कर्मचारी व कल्याण निरीक्षक, कार्यालय में।

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. मंडल रेल प्रबंधक तथा अपर मंडल रेल प्रबंधक महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. वमंविप्र / समस्तीपुर
3. मंकाधि, सकाधि–। तथा विधि अधिकारी / समस्तीपुर।

वमंकाधि / सम0